


	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
--	--	--

25/13

पत्रां तलब की गई, वकील प्रार्थी उप०।
 वकील प्रार्थी ने आ० पत्र पेशा कर
 निवेदन किया कि उपरोक्त आगतों की पत्रां
 दिनांक 12/7/13 को निमत है तथा प्रार्थी
 उक्त उकरण का आज ही निस्तारण करवाना
 चाहता है तथा उकरण को दागे नहीं चलाना
 चाहता है। उक्त उकरण की दिनांक 12/7/13
 होने के कारण पत्रां की आपसी तलब
 करने के आदेश पुरान करावे। अतः
 पत्रां तलब की गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आवत्
 उकरण को खारिज करने का पेशा कर
 निवेदन किया कि प्रार्थी उपरोक्त उकरण
 में अप्रार्थी के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही
 नहीं चाहता है तथा उक्त उकरण को दागे
 नहीं चलाना चाहता है तथा न ही इस
 उकरण की पत्रां में कोई राजस्व अनुतोष
 प्राप्त करना चाहता है, इसलिए जरिए आ० पत्र
 उकरण को विण्ड्रोल खारिज करवाने तथा
 उकरण को निस्तारण करने के आदेश
 पुरान कराने का निवेदन किया।

पत्रां में हस्तगत आ० पत्र का अवलोकन
 किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र
 अन्तर्गत धारा 212 व ऑर्डर 39 नियम 1 व
 2 व धारा 151 CPC को जरिए विण्ड्रोल
 खारिज करने का निवेदन किया। अतः
 प्रार्थी का आ० पत्र धारा 212 व ऑर्डर
 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 CPC को
 जरिए विण्ड्रोल खारिज किया जाता है।
 पत्रां फौजल शुमार होकर नंबर को
 कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल
 दफतर लेखा/गण्डार जमा हो।


 न्यायाधीश (अधीनस्थ)